न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी :– रूपेन्द्र चौहान, आर.जे.एस.
नियमित अपराधिक प्रकरण संख्या :– 506/2021
सी.आई.एस.सं. :– 506/2021

राजस्थान राज्य

–अभियोगी

बनाम

सवाई बनबागरिया पुत्र भूराराम उम्र 61 साल निवासी खानाबदोश हाल निवासी कुकडोद मकराना पुलिस थाना मकराना जिला डीडवाना कुचामन।

–अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता

उपस्थिति:–
1. राज्य की ओर से :– अभियोजन अधिकारी उपस्थित।
2. अभियुक्त की ओर से :– विद्वान अधिवक्ता श्री देवी सिंह बीका।

–::निर्णय::– **दिनांकः–22.06.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पेमाराम पुत्र लादुराम जाति बावरी उम्र 60 साल निवासी कुकडोद ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आश्य की पेश की, कि दिनांक 02–07–2021 को सुबह 10.30 बजे उसका लडका बिरबल राम बकरीयां चराने हेतु जंगल में गया हुआ था। तभी उसका फोन आया की पापा अपना एक बकरा बन बागरिया अपने उंट गाडे में डालकर नादोली की तरफ जा रहा है वह अकेला है। चार–पांच आदमी आवो तब वह व उसका भतीजा गोपीराम मोटर साईकल लेकर बीरबल के पास गये गांव से 2–3 व्यक्ति ओर आ गये उन्होंने गाडे को रुकाकार बकरा देखा तो गाडे में बकरा चारो पैरो से बांधा हुआ मिला बन बागरीया गाडा छोडकर भाग गये उन्होंने फिर थाने फोन किया था वन बागरीया ने पहले भी बलदेव राम मेघवाल लाडपुर व छीगन कंवर राजपुत निवासी उचेरियां व नेमाराम गुर्जर निवासी कुकडोद की भी बकरीयां चोरी की थी जो आज तक नहीं मिली। .....इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मकराना द्वारा प्रकरण संख्या 209/2021 अंतर्गत धारा 379 भादस में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 379 भादस के तहत न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बहस चार्ज सुनने के उपरान्त अभियुक्त को धारा 379 भादस का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया जिसे अभियुक्त ने सुन व समझ कर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड. 01 सुरेश मण्डा, पी.ड 02 पेमाराम, पी.ड. 03 महेन्द्र सिंह, पी.ड. 04 महेन्द्र कुमार, पी.ड. 05 सीताराम, पी.ड. 06 रोशन सामरिया, पी.ड 7 महेन्द्र कुमार, पी.ड 8 बीरबल के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी में नक्शा मौका प्रदर्श पी–1, फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2, फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी–3, तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी–4, रिपोर्ट प्रदर्श पी–5, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 6, फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 7, सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी 8 को प्रदर्शित करवाया गया।

5. अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.स. किया गया तो उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा झूठा फंसाये जाने का कथन किया एवं साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया।

6. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह तर्क रहे है कि अभियुक्त को प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई चोरी का अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किसी भी गवाह द्वारा यह कथन नहीं किये गये है कि अभियुक्त सवाई बागरियां द्वारा प्रकरण में चोरी कारित की है। प्रकरण में अभियुक्त के आधिपत्य से चुराई गयी बकरी बरामद नहीं की गयी व इन आधारों पर अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

7. अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये कथन किये है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित पाये गये है एवं इन आधारों पर अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

8. उभय पक्ष के तर्कों, तथ्यों पर विचार किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.07.2021 को सुबह 10.30 बजे या उसके लगभग वाके नादोली में परिवादी पेमाराम के कब्जेशुदा बकरे को उसकी सम्मति के बिना बेईमानी से ले जाने का आशय रखते हुये उसके कब्जे से हटाकर चुराकर ले गये?

(2) यदि हां तो समुचित दण्ड क्या होगा?

9. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान में गवाह पीडब्लयू–1 सुरेश मण्डा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 02.07.2021 को सुबह की बात है। वह अपनी ढाणी में अपने खेत पर काम कर रहा था। उसके पास बीरबल राम का फोन आया, जिन्होने उसे बताया कि एक सवाई नाम का बनबागरिया बकरियां चोरी करके ले जा रहा है, तब वह और नन्दसिंह मोटरसाईकिल लेकर पेमाराम के खेत पर पहुंचे तो वहां पर सवाई बनबागरिया के उंट गाडे को चैक किया तो उसमें एक बकरा था। पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयाना कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 बनाया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने बकरे को भी जब्त किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उस बकरे को बाद जब्त कर पेमाराम को सुपुर्द किया था जिसकी फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। तस्दीक घटना स्थल प्रदर्श पी 04 पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि नक्शा मौका के उत्तर में उसकी ढाणी है। चोरी होने के पांच मिनट बाद उसे फोन आया था वह घटना स्थल पर फोन आने के

दस मीनट बाद पहुंच गया था। वह वहां गया तब बागरिया भाग गया था। उसने बागरिया को नहीं पकड़ा था। गाड़े में एक ही बकरा था। गाडे में दो आदमी बता रहे थे।

10. गवाह पीडब्लयू–2 पेमाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 02.07.2021 को सुबह दस बजे की बात है। उसका लड़का बीरबल राम बकरीयां चराने जंगल में गया हुआ था। तभी उसका फोन आया कि एक बनबागरिया अपने उंट गाडे में बकरा डाल कर ले जा रहा है। तब वह व उसका भतीजा गोपिराम मोटरसाईकिल मोटरसाईकिल लेकर वहां गए और गांव के दो तीन आदमी वहां गए। बनबागरिया की उंट गाडे को रूकवाया और उसको चैक किया तो उसमें उनका एक बकरा था। बनबागरिया का नाम उसे याद नहीं है। इससे पहले भी पांच छ बकरियां और चोरी हो गई थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाने में दी थी, रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफ.आई.आर प्रदर्श पी 06 पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 बनाया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। बनबागरिया ने उसके बकरे के पैर बांध रखे थे और गाडे में डाल रखा था। पुलिस ने बकरा जब्त कर उसे सुपुर्द किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 02 है व फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी 03 है, जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम की निशांदेही तस्दीक घटना स्थल मौके पर बनाया था जिस पर भी सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि यह कहना सही है कि रिपोर्ट उसकी लिखी हुई नहीं, रिपोर्ट दूसरे की लिखी हुई है, उसे लिखना पढ़ना नहीं आता है। मुल्जिम का वह नाम नहीं जानता है, उसने मुल्जिम को नहीं देखा है, वे गए तब तक मुल्जिम भाग गए थे। छकडे में दो आदमी थे। पुलिस ने नक्शा मौका बनाया तब दस ग्यारह बजे थे, उस समय करीब डेढ सौ आदमी इकटठे हो गए थे। पुलिस ने नक्शा मौका व हालात मौके पर किस किस के हस्ताक्षर करवाए उसे पता नहीं।

11. गवाह पीडब्लयू–3 महेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि तारीख उसे याद नहीं है आज से चार–पांच माह पूर्व की बात है। ग्यारह बजे की बात है, वह अपने खेत में था। वह खेत के पास हल्ला होने पर वहां गया कि बागरिया पेमाराम के बकरे को लेकर जा रहे थे। बागरिया के नाम उसे पता नहीं है। बागरिया ने वह बकरा अपने उंट गाडे में डाल रखा था। मौके पर आस पास के कई आदमी आ गए थे। पुलिस मौके पर आई थी, पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 बनाया था जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पेमाराम के बकरे को जब्त कर उसे सुपुर्द किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 02 व फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी 03 पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। तस्दीक घटना स्थल प्रदर्श पी 04 पर भी इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि यह कहना सही है कि पुलिस ने बकरे को दूसरे बकरे में मिलकार मुस्तिगीस से पहचान नहीं करवाई। यह कहना सही है कि वे मौके पर गए तब तक बागरिया वहां से भाग गए थे, उन्होंने उनको नहीं देखा, और आज भी नहीं जानता। यह सही है कि पुलिस वालो ने फर्द जब्ती पर किस किस के हस्ताक्षर करवाए उसे जानकारी नहीं वहां पर काफी लोग आ गए थे। पुलिस ने फोन पर क्या लिखा था उसे जानकारी नहीं है, उसके सिर्फ हस्ताक्षर करवाए थे।

12. गवाह पीडब्लयू–4 महेन्द्र कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 04.07.2021 को वह पुलिस थाना मकराना में कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रकरण संख्या 209/2021 में वांछित मुल्जिम सवाई पुत्र भूराराम जाति–बनबागरिया को अनुसंधान अधिकारी महेन्द्र खिंची हेड कानि ने उसके व कानि सीताराम के सामने थाना हाजा से

गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 07 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि यह कहना सही है कि मुल्जिम को उसके सामने थाने से गिरफ्तार किया था, मुल्जिम को कौन लाया कैसे लाया उसे जानकारी नहीं है।

13. गवाह पीडब्लयू–5 सीताराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 04.07.2021 को पुलिस थाना मकराना में कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रकरण संख्या 209/2021 में वांछित मुल्जिम सवाई पुत्र भूराराम, जाति–बनबागरिया को अनुसंधान अधिकारी महेन्द्र खींची हेड कानि ने उसके व महेन्द्र कानि 1355 के सामने थाने परिसर से गिरफ्तार किया था। जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–7 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि यह कहना सही है कि मुल्जिम को थाना परिसर में ही गिरफ्तार किया था, मुल्जिम को कहां से कौन लेकर आया उसे जानकारी नहीं है।

14. गवाह पीडब्लयू–6 रोशन सामरिया ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 02.07.2021 को थानाधिकारी पुलिस थाना मकराना के पद पर पदस्थापित था। उस दिन परिवादी श्री पेमाराम पुत्र लादूराम बावरी उम्र 60 साल निवासी–कुकडोद ने उपस्थित थाना होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जो प्रदर्श पी–5 है जिस पर ए से बी परिवाद व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 209/2021 दर्ज कर अनुसंधान महेन्द्र कुमार हेड कानि 1174 के जिम्मे किया था। प्रकरण में कम्प्यूटर जनरेटेड चाक एफ.आई.आर प्रदर्श पी–6 है जिस पर ए से बी परिवादी व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर पत्रावली अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र हेड कानि ने उसे प्रेषित की उसके द्वारा आरोपी सवाई बनबागरिया पुत्र भूराराम, उम्र–55 साल, निवासी–खानाबदोश तत्कालिन निवासी कुकडीद के विरूद्ध जुर्म धारा 379 भा.दं.सं प्रमाणित माने जाने पर चार्जशीट कता कर न्यायालय में पेश की। चार्जशीट के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

15. गवाह पीडब्लयू–7 महेन्द्र कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 02.07.2021 को पुलिस थाना मकराना में हैड़ कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रकरण संख्या 209/2021 अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता में अनुसंधान रोशनलाल थानाधिकारी द्वारा उसके जिम्मे किया गया। प्रकरण में परिवादी पेमाराम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 है जिस पर इ से एफ कार्यावाही पुलिस का अंकन होकर सी से डी रोशनलाल जी के हस्ताक्षर है। चाक एफ.आई.आर प्रदर्श पी–6 है। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा परिवादी चैनाराम की निशादेही से महेन्द्र सिंह व सुरेश मडा के समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 बनाया गया जिस पर जी से एच उसके सी से डी पेमाराम, ए से बी सुरेश मंडा व इ से एफ महेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर है। गवाह पेमाराम, बीरबल, सुरेश, महेन्द्र सिंह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त सवाई बनबागरिया को दिनांक 04.07.2021 को पुलिस थाना मकराना परिसर से गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–7 है जिस पर इ से एफ उसके, ए से बी व सी से डी गवाहन महेन्द्र कुमार, सीताराम के हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर अभियुक्त के अंगूठा निशानी है। अभियुक्त द्वारा एक सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम जिस स्थान से बकरा चोरी किया गया के संबंध में दी गई जो प्रदर्श पी–8 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर अभियुक्त की अंगूठा निशानी है। उक्त सूचना के आधार पर फर्द तस्दीक घटना स्थल प्रदर्श पी–4 बनाया गया जिस पर जी से एच उसके ए से बी सुरेश, इ से एफ महेन्द्र, सी से डी पेमाराम के हस्ताक्षर है। घटना में अभियुक्त

को परिवादी द्वारा बकरा ले जाते हुये ही पकड़ लिया था, फर्द पेशगी एवं फर्द जप्ती बकरा प्रदर्श पी–2 है जिस पर जी से एच उसके ए से बी सुरेश, इ से एफ महेन्द्र, सी से डी पेमाराम के हस्ताक्षर है। फर्द सुपुर्दगी बकरा प्रदर्श पी–3 है जिस पर जी से एच उसके ए से बी सुरेश इ से एफ महेन्द्र, सी से डी पेमाराम के हस्ताक्षर है। सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त सवाई बागरिया के विरूद्ध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली चार्जशीट कर्ता करने हेतु तत्कालिन थानाधिकारी रोशनलाल को सुपुर्द की जिनके द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। आरोप पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर रोशनलाल जी के हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि यह कहना सही है कि उसने मुल्जिम को थाने पर गिरफ्तार किया था, थाने में कौन लेकर आया उसे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि उसने हेडराईटिंग एक्सपर्ट का कोर्स नहीं किया। यह कहना सही है कि वह राईटींग एक्सपर्ट नहीं होने के कारण किसी के भी हस्ताक्षर प्रमाणित रूप से नहीं बता सकता। बकरा सात–आठ महिने का था, भूरे रंग का था जिसके कान छोटे छोटे थे। यह कहना सही है कि बकरे को दूसरे बकरों में मिलाकर किसी सक्षम मजिस्ट्रेट से पहचान नहीं करवाई। यह कहना सही है कि चार्जशीट रोशनलाल जी सी.आई. साहब की है। यह कहना सही है कि सी.आई. रोशनलाल ने घटना पर जाकर घटना की तस्दीक नहीं की।

16. गवाह पीडब्लयू–8 बीरबल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से करीब 4–5 साल पहले की बात है। वह उसके खेत पर बकरिया चरा रहा था। बागरिया उंट गाडी में उसका एक छोटा बकरा उठा कर ले जा रहे थे। फिर उसने उसके पिता को घटना के बारे में बताया। तब उसके पापा व महेन्द्र सिंह व अन्य व्यक्ति आये। गांव के काफी लोग इक्टठे हो गये। बागरिया वहां से भाग गये थे। वे लोग कौन थे। उसको पता नहीं है। फिर उसके पिताजी ने थाने पर फोन किया था। बागरियों की उंटगाडी व बकरा वहीं पर मिल गया था। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि यह सही है कि सवाई बागरिया वहां पर भी था। वह सवाई बागरियां को अच्छी तरह जानता था। छकड़ा सवाई बागरिया का नहीं था।

17. उपरोक्त साक्ष्य के परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि दिनांक 02.07.2021 को परिवादी पेमाराम द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 पुलिस थाना मकराना में मुख्य रूप से इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि सुबह 10.30 बजे उसका लड़का बीरबल बकरी चराने हेतु जंगल में गया तभी उसका फोन आया कि एक बकरा वनबागरिया अपने उंट गाडे में उठाकर नादोली की तरफ ले जा रहे है। जिस पर वह अपने भतीजे गोपीराम की मोटरसाईकिल लेकर वहां पर या। वहां पर 2–3 व्यक्ति ओर आ गये। उन्होंने गाडे को रोककर बकरे को देखा तो बकरे के चारों पैरों को बांधे हुआ मिला। वन बागरिया गाडा छोड़कर वहां से भाग गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मकराना में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 209/2021 अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त सवाई बागरिया के विरूद्ध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा उन्हीं धाराओं में आरेाप सुनाये गये है।

18. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करने से दर्शित हो रहा है कि प्रकरण में परिवादी पेमाराम गवाह पी.ड 2 के रूप में उपस्थित हुआ है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुय घटना दिनांक 02.07.2021 की होना बताकर उस दिन उसके लड़का बीरबल राम द्वारा बकरिया चराने के

लिये जंगल में जाना व उसके पास फोन आया की वन बागरिया उंट गाडे में बकरा डालकर ले जा रहे है तब उसके द्वारा घटनास्थल पर जाना अन्य 2–3 व्यक्तियों का वहां पर आना व वन बागरियां के उंट गाडे को रूकाकर चेक करने पर उसका बकरा मिलने पर रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 दिया जाना, नक्शा मौका प्रदर्श पी 1, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 2, फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी 3 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया गया है, परंतु उक्त गवाह द्वारा अपनी जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मुलजिम का नाम वह नहीं जानता। उसने मुलजिम को देखा भी नहीं। वह गया तब तक मुलजिम भाग चुका था। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाहन में गवाह बीरबल जो परिवादी का पुत्र होकर घटना का सबसे महत्वपूर्ण साक्षी न्यायालय में पी.ड 8 के रूप में परीक्षित हुआ है। उक्त गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किये है कि घटना के दिन वन बागरिया उंट गाडे में उसका एक छोटा बकरा डालकर ले गया। जिस पर उसने अपने पिता को को घटना के बारे में फोन किया। परंतु जिरह में यह भी कथन किये है कि वन बागरिया वहां से भाग गया वे लोग कौन थे उसे पता नहीं है। साथ ही जिरह में गवाह द्वारा यह भी कथन किये है कि यह सही है कि सवाई बागरियां वहां पर नहीं था। वह सवाई बागरियां को अच्छी तरह से जानता है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य गवाहन में गवाह पी.ड 1 सुरेश ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किये है कि बीरबल द्वारा उसके पास फोन आने पर उसे बताया गया था कि सवाई नाम का बागरिया बकरी चुराकर ले जा रहा है। वे घटनास्थल पर पहुंचे वहां पर सवाई बागरिया के उंट गाडे को चैक करने पर बकरा मिला तथा उक्त द्वारा अपनी जिरह में यह भी कथन किये है कि वह चोरी होने के 5 मिनट बाद उसके पास फोन आया था। फोन आने के 10 मिनट बाद वह घटनास्थल पर पहुंचे तब तक बागरियां भाग चुका था। ऐसी दशा में उक्त गवाह द्वारा केवल मात्र बीरबल द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर मुख्य परीक्षा में अभियुक्त का नाम बताया गया है जबकि स्वयं बीरबल जब न्यायालय में गवाह पी.ड 8 के रूप में उपस्थित हुआ तब उसके द्वारा सवाई बागरिया के घटनास्थल पर उपस्थित नहीं होने के कथन किये है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाहन में गवाह पी.ड 5 सीताराम फर्द गिरफतारी का औपचारिक गवाह है। जिसके द्वारा कथन किये है कि दिनांक 04.07.2021 को थाना परिसर से ही अभियुक्त को गिरफतार किया गया। गवाह पी.ड 6 रोशन सामरिया प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज कर्ता चालान प्रस्तुत करने वाला अधिकारी जिसने स्वयं की मुख्य परीक्षा में परिवादी पेमाराम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान महेन्द्र कुमार हैड कांस्टेबल के जिम्मे किया गया एवं बाद तफतीश चार्जशीट न्यायालय में पेश किये जाने के कथन किये है। गवाह पी.ड 3 महेन्द्र सिंह फर्द जब्ती प्रदर्श पी 2, फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी 3, तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 4 व नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 के गवाह के रूप में पेश हुये है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये है कि घटना के दिन खेत में हल्ला होने पर वह वहां पर गया जहां पर पेमाराम की बकरे को वन बागरिया ले जा रहा था। जिसका नाम उसे पता नहीं है। ऐसी दशा में उक्त गवाह द्वारा भी अभियुक्त के विरूद्ध ऐसी साक्ष्य दी गयी है। जिससे अभियुक्त की पहचान हो। गवाह पी.ड 7 महेन्द्र कुमार हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रकरण के संबंध में संपूर्ण अनुसंधान किये जाने एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त सवाई बागरिया के विरूद्ध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप प्रमाणित पाये जाने के कथन किये है। साथ ही मुख्य परीक्षा में यह कथन किये है कि घटना में अभियुक्त को परिवादी द्वारा बकरा ले जाते हुये पकड़ लिया था। साथ ही जिरह में गवाह द्वारा

यह भी कथन किये गये है कि यह सही है कि बकरे को दूसरे बकरों में मिलाकर पहचान नहीं करवायी हो।

19. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से यह दर्शित हो रहा है कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 में किसी नाम जद व्यक्ति के नाम रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी गयी है। स्वयं परिवादी गवाह पी.ड 2 पेमाराम व पी.ड 8 बीरबल जिसके समक्ष जिसके समक्ष घटना घटित हुयी, द्वारा भी अभियुक्त सवाई बागरियां द्वारा चोरी किये जाने के कथन नहीं किये है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत एकामात्र गवाह पी.ड 1 सुरेश द्वारा मुख्य परीक्षा में अभियुक्त सवाई बागरियां का नाम बताया गया है जो उसे बीरबल द्वारा बताया जाना उल्लेखित किया गया है, परंतु स्वयं बीरबल जब न्यायालय में गवाह पी.ड 8 के रूप में उपस्थित हुआ है, तत्समय उक्त गवाह द्वारा स्वयं बागरियों के घटनास्थल पर होने से इंकार किया है। अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड 7 महेन्द्र कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किये है कि घटना में अभियुक्त को परिवादी द्वारा बकरा ले जाते हुये पकड़ लिया था, परंतु पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि घटना दिनांक 02.07.2021 की होना बतायी गयी है, जबकि प्रकरण में अभियुक्त सवाई बागरियां को दिनांक 04.07.2021 को गिरफतार किया गया है जो अनुसंधान अधिकारी द्वारा किये गये कथनों से विरोधाभासी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित हो रहा है कि प्रकरण तथाकथित रूप से चुराया गया बकरा जरिये फर्द पेश की एवं जब्ती प्रदर्श पी 2 के जरिये जब्त किया गया है जो स्वयं मुस्तगीस परिवादी पेमाराम द्वारा प्रस्तुत किया गया है एवं इस आधार पर जब्ती प्रदर्श पी 2 में उक्त बकरा को पेमाराम को सुपुर्द किया गया है। अभियुक्त से उक्त बकरा जब्त किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज या फर्द पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से केवल मात्र यह दर्शित हो रहा है कि अभियुक्त को दिनांक 04.07.2021 को गिरफतार करने के पश्चात दिनांक 05.07.2021 को सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के आधार पर फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 4 मुर्तिब किया गया है। ऐसी दशा में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना के आधार पर कोई भी जब्ती आदि नहीं की गयी एवं जिस स्थान की तस्दीक अभियुक्त से होना तथाकथित रूप से बताया गया है की जानकारी पूर्व से ही अनुसंधान अधिकारी एवं परिवादी को रही है। ऐसी दशा में प्रदर्श पी 8 धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना के आधार पर कोई नये तथ्य ज्ञान में नहीं आया था। जिस आधार पर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना के आधार पर भी अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं माने जा सकते है। ऐसी दशा में उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। जिस आधार पर अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

20. अभियुक्त सवाई बनबागरिया पुत्र भूराराम उम्र 61 साल निवासी खानाबदोश हाल निवासी कुकडोद मकराना पुलिस थाना मकराना जिला डीडवाना कुचामन को धारा 379 भारतीय दंड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके तुरंत प्रभाव से निरस्त किये जाते है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत्

अपने 437 ए दं0 प्र 0 सं0 के तहत दस हजार रुपये का जमानतनामा व इसी कदर राशि का मुचलका पेश कर तस्दीक करावे जो आगामी 06 माह के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(रूपेन्द्र चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।

20. निर्णय आज दिनांक 22.06.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूपेन्द्र चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।